संतकबीरनगर पुलिस

जनपद – संतकबीरनगर ***प्रेस विज्ञप्ति*** ***दिनाँक 24.03.2024***

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले मे वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में *मिशन शक्ति अभियान* के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री राघवेन्द्र सिंह राठौर*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना बखिरा पुलिस द्वारा*** मु0अ0स0 45/2024 धारा 363/366(ए)/376 भा0द0वि0 व 5/6 पाक्सो एक्ट के मामले मे वांछित अभियुक्त अर्जुन पुत्र स्व0 राजेश निवासी इमलिया थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 10.02.2024 को वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था व दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध में वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बखिरा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 24.03.2024 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री राजीव सिंह, हे0का0 मोहन प्रसाद चौधरी, म0का0 शिवांगी।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 01 अदद प्रतिबन्धित तमंचा .303 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री ब्रजेश सिंह *** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री रामकृपाल सिंह*** के नेतृत्व मे आज दिनांक 24.03.2024 को ग्राम कटहरिया सागौन के पास से अभियुक्त भिष्म पितामाह सिंह पुत्र स्व0 रामअशीष सिंह निवासी गजपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीनगर को 01 अदद प्रतिबन्धित तमंचा .303 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर के साथ गिरफ्तारी किया गया। उक्त गिरफ्तारी /

बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 234/2024 धारा 7/25 आमर्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

भिष्म पितामाह सिंह पुत्र स्व0 रामअशीष सिंह निवासी गजपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीनगर

कुल बरामदगी-

01 अदद प्रतिबन्धित तमंचा .303 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण :-

उ0नि0 अशोक कुमार दुबे मय हमराह का0 लालचन्द्र प्रसाद , का0 देवी प्रसाद यादव, का0 रंजन कुमार राजभर व का0 संजीव यादव।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए जबरन वसूली करने व जान माल की धमकी देने के मामले में वाँछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

जनपद में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री ब्रजेश सिंह *** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद***श्री रामकृपाल सिंह*** के नेतृत्व मे आज दिनांक 24.03.2024 को तामेश्वरनाथ मन्दिर के पास से अभियुक्तगण 1- नन्द कुमार सिंह पुत्र स्व0 शिवशंकर सिंह 2- अतुल सिंह उर्फ नमन सिंह पुत्र नन्द कुमार सिंह निवासीगण शिवशंकरपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को 01 अदद ई-स्टाम्प के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1- नन्द कुमार सिंह पुत्र स्व0 शिवशंकर सिंह निवासी शिवशंकरपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर।

2- अतुल सिंह उर्फ नमन सिंह पुत्र नन्द कुमार सिंह निवासी शिवशंकरपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर।

कुल बरामदगी-

01 अदद ई- स्टाम्प पेपर।

संतकबीरनगर पुलिस

घटना का विवरण-

विदित हो कि दिनांक 24.03.2024 को वादी चूनीराम पुत्र रामबली चौहान निवासी शिवशंकरपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा सूचना दिया गया कि अभियुक्त उपरोक्त द्वारा वादी को 20 हजार रुपए 10 प्रतिशत ब्याज पर लगभग 09 वर्ष पहले दिया गया था जिसको वादी द्वारा ब्याज सहित 95000 रु0 व 01 अदद कीमती पेड़ देकर चुका दिया गया था परन्तु अभियुक्त उपरोक्त द्वारा वादी से 03 लाख रुपए की मांग करते हुए अपनी गाड़ी में बैठाकर मारपीट की गयी व जान से मारने की धमकी दी गयी जिसके उपरान्त थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण :-

उ0नि0 श्री अशोक कुमार दूबे, का0 देवी प्रसाद यादव, का0 लालचन्द्र प्रसाद, का0 रंजन कुमार राजभर, का0 संजीव कुमार यादव।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3304 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 04 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 3304 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत सरैया बाईपास से इवेन्ट संख्या 00873 से कालर द्वारा मार्ग दुर्घटना में 04 व्यक्तियों (**01-रंजीत पुत्र कमलेश यादव, 02- मनोज पुत्र मलिकराम निवासीगण तिलकोरा थाना मुरलीगंज जिला मधुकरा, बिहार 03- सिधोराम पुत्र उपेन्द्र राम, 4- बलिराम पुत्र मुरलीधर निवासीगण इब्राहिमपुर थाना चौराही जनपद बेगुसराय, बिहार**) के घायल होने के संबंध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्तियों को एंबुलेंश की सहायता से अस्पताल भेजवाया गया साथ ही घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर घायल व्यक्तियों को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

संतकबीरनगर पुलिस

***पीआरवी स्टाफ-* आरक्षी विनोद यादव, हो0चा0 मनीष पाण्डेय ।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 136 वाहनों से 1,29,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 24.03.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 136 वाहनों से 1,29,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।